

## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-20/2018/

दिनांक:-

### आदेश

श्रीमति बबली मीणा, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कठूमर, खण्ड खेडली, अलवर का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	कुल अवधि	अवकाश का प्रकार
1	बबली मीणा	03.06.2017	22.06.2017	20	63	असाधारण अवकाश
		28.03.2017	25.04.2017	29		
		28.08.2017	10.09.2017	14		

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उद्भोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में 33 दिवस अभिवृद्धि की जावेगी।

→  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 26-6-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-20/2018/868

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेडली, अलवर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सा0स्वा0केन्द्र, कठूमर, अलवर।
4. श्रीमति बबली मीणा, नर्स-2, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।
- 7.



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर